'छह राज्यों से आये 200 भाजपा विधायक अपने अनुभव बांटेंगे'

सभी विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे : राजेन्द्र राठौड़

भाजपा के आठ दिवसीय अल्प प्रवासी योजना के तहत शनिवार को जयपुर में प्रवासी विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सी.पी. जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। भाजपा के आठ दिवसीय अल्प प्रवासी योजना के तहत शनिवार को जयपुर में प्रवासी विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि 6 राज्यों से विधायक बैठक में पहुंचे हैं। ये विधायक सभी विधानसभाओं में जाकर अपने अनुभव और उनके राज्यों में हुए नवाचारों के सबंध में स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार यूपी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, गुजरात में बजट घोषणाओं को तय समय पर धरातल पर उतारा गया। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे प्रकरणों से हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि अल्प प्रवासी विधायक जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुख और शक्ति केन्द्र प्रभारियों सहित पदाधिकारियों से मिलकर चर्चा करेंगे। सभी विधायक विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास के साथ ही बैठकों में भाग लेंगे, जिसमें वे अपने अनुभव साझा करने के साथ प्रदेश की मौजूदा हालातों की समीक्षा करेंगे। गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है। वहीं जनसंख्या और भोगोलिक स्थितियां विपरीत होने के बावजूद यूपी में आज कानून व्यवस्था बेहद सुदृढ़ है। योगी सरकार के भय से अपराधी यूपी से भागकर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो रहे हैं।

गौरतलब है कि ये विधायक सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर विधायक का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। वही विधानसभा में नाराज नेताओं की क्षेत्र में कितनी वजनदारी है? उनकी नाराजगी से कितना नुकसान हो सकता है? इस बार उम्मीदवारों का चयन बहुत ही गंभीरता से किया जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। यदि यह फॉर्मूला लागू होता है तो कुछ पुराने विधायकों की टिकट कटने की आशंका है। ऐसे में जिसे टिकट मिलेगा उसके विरोध में बगावत के आसार बन सकते हैं। इन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जाएगी। ऐसे हालात से पार्टी को कैसे डील करना है, ये सभी पहलू इन विधायकों की सूची में शामिल किया है।

राजधानी जयपुर में तीज माता की शाही सवारी सिटी पैलेस की जनाना ड्योढ़ी से शाही लवाजमें के साथ शनिवार को निकली। चांदी की पालकी में विराजमान तीज माता के दर्शन करने के लिये हजारों लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। सजे धजे हाथी-घोड़े और ऊँटगाड़ी तथा लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने लोग छतों पर चढ़ गये।

महिलाओं का सम्मेलन संवर्धिनी आज

जयपुर। जयपुर में महिलाओं का एक विशाल महासम्मेलन होने जा रहा है। जिसमें 2000 से अधिक महिलाओं के सम्मिलित होने की सम्भावना है। महासम्मेलन मानसरोवर के दीप सभागार में आयोजित होगा। समन्वय संयोजिका डॉ. मंजु शर्मा ने कहा कि महासम्मेलन को सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें समाज के हर वर्ग-व्यवसायी, चिकित्सक, सामाजिक संगठन चलाने वाली, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी व विभिन्न जाति-बिरादरियों का नेतृत्व करने वाली महिलाएं भाग लेंगी।

मानहानि केस में सीएम गहलोत को वीसी से पेश होने की राहत बरकरार

जयपुर, (का.सं.)। दिल्ली की राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाले मामले में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह व उनके परिवारजनों के खिलाफ की गई बयानबाजी के आपराधिक मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को व्यक्तिगत उपस्थिति से दी गई छूट को 16 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अदालत ने यह आदेश सीएम गहलोत की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत की ओर से उनके अधिवक्ता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट को बरकरार रखते हुए मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक टालने की गुहार की। वहीं केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह के अधिवक्ता ने अगली पेशी पर वीसी के जरिए उपस्थिति का विरोध किया और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह रखने की गुहार की। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर को तय की है।

रिवीजन में सीएम ने निचली कोर्ट के 6 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें समन के जरिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। रिवीजन अर्जी में सीएम की ओर से कहा गया कि मामले में दायर मानहानि के परिवाद में आपराधिक मानहानि के कोई साक्ष्य ही नहीं हैं। अखबार में छपी खबरों के आधार पर परिवाद दायर किया है जो सही नहीं माना जा सकता। सीएम ने जो बयान दिया था वह गृह मंत्री के तौर पर और एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। एसओजी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में परिवादी शेखावत को आरोपी माना है। इसलिए उनके खिलाफ समन पर रोक लगाई जाए। पूर्व में अदालत ने समन पर रोक से इनकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में वीसी के जरिए पेश होने को कहा था। जिसकी पालना में गहलोत गत 7 अगस्त को निचली अदालत में वीसी के जरिए पेश हुए। निचली अदालत मामले में 21 अगस्त को सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिल्ली की निचली अदालत में संजीवनी घोटाले मामले में सीएम गहलोत के ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर गहलोत पर आपराधिक मानहानि का परिवाद पेश किया है।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1675 दिनांक-18.08.2023

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 69/384, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री सतीश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 806 दिनांक 11-6-1996 एवं संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 490 दिनांक 18-6-2002 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 25-6-1997 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात श्री सतीश कुमार की मृत्यु दिनांक 17-8-2014 को हो जाने के कारण इनकी पुत्र/पत्नी श्री चन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व.श्री सतीश कुमार एवं श्रीमती कृष्णा पत्नी स्व.श्री सतीश कुमार ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदन श्री चन्द्रजीत सिंह एवं श्रीमती कृष्णा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

छात्रसंघ चुनाव रोक के खिलाफ यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस शैक्षिणक सत्र में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता की ओर से वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता शांतनु पारीक की पीआईएल को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका पेश करने पर नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि प्रकरण में जनहित याचिका पेश करने के क्या आधार हैं। जिसका याचिकाकर्ता कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। अदालत के पूछने पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पेशे से अधिवक्ता है और सोशल मीडिया पर निशुल्क विधिक जागरूकता देने का काम करता है। इस पर अदालत ने कहा कि आपके साथ ये ही तो दिक्कत है कि आप इस मुद्दे को पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे पीआईएल को वापस लें वरना कोर्ट उसे हर्जाने के साथ खारिज करेगा। इस पर याचिकाकर्ता ने पीआईएल को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से छात्रसंघ चुनाव का मौलिक अधिकार होने की बात कहने पर अदालत ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उनको लगेगा तो हाईकोर्ट में याचिका पेश कर देंगे। इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है। सरकार ने चुनाव बैन भी नहीं किए हैं, सिर्फ इस बार चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। अदालत ने कहा कि आप वकील है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं।

> ■ **अदालत ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे पीआईएल को वापस लें वरना कोर्ट उसे हर्जाने के साथ खारिज करेगा।**

जनहित याचिका में कहा गया था कि छात्रसंघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) व अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है। राज्य सरकार ने गत 12 अगस्त को एक परिपत्र के जरिए तर्कहीन व असंवैधानिक कारणों से छात्रसंघ चुनावों को नहीं कराने का निर्णय लिया है, जो गलत है। इस परिपत्र में कहा है कि उच्च शिक्षा नीति की क्रियान्विति, कई विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम में देरी और मौजूदा शैक्षिणक सत्र में देरी से प्रवेश के कारण अध्यापन कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना भी नहीं हो पा रही है। याचिका में कहा गया कि इन सिफारिशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, विवि और कॉलेज प्रशासन की है। हर विवि ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर एक कोड ऑफ कंडक्ट के नियम बना रखे हैं और यदि इन नियमों की अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में प्रदेश के विवि और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाए।

सतीश पूनिया ने ओपन जिम का किया उद्घाटन

जयपुर। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के खोराबीसल में ओपन जिम एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सतीश पूनियां ने ओपन जिम में शारीरिक व्यायाम भी किया और उन्होंने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। डॉ. पूनियां ने आमेर के जालसू क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें राजकीय विद्यालय, खपरिया में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा का लोकार्पण, राजकीय विद्यालय, कल्याणपुरा में कक्षा कक्ष मय बरामदा के निर्माण कार्य का शिलान्यास, ग्राम मुंडिया में सामुदायिक भवन का शिलान्यास, दुर्गा का बास में सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य का लोकार्पण, दुर्गा का बास में श्री तेजाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। डॉ.पूनिया ने कहा कि 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी।

खोया पाया

मेरे मकान 13/846FF मालवीय नगर जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र तथा डिक्लेरेशन मालवीय नगर जयपुर में गिर गये है। मिलने पर सूचित करे- राजीव गुप्ता 7357347443

मेरे प्लॉट नं. 11-बी, इन्द्रपुरी कॉलोनी चौथ माता की बगीची, ब्रह्मपुरी, जयपुर के ओरिजनल रजिस्ट्री एवं दस्तावेज बोलेश्वर मन्दिर, गणगौरी बाजार मैन मार्केट में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें। किशनलाल 9351660935

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम हबीबा (Habeeba) से बदलकर हबीबा बानो (Habeeba Bano) पत्नी मोहम्मद शोएब निवासी 56, कृष्णा कॉलोनी, बेनीवाल कांटा, रामगढ मोड, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे हबीबा बानो के नाम से जाना जाए।

मैं Savita Vikas Patil W/o आर्मी नंबर- JC-281250H सूबेदार, Vikas Devidas Patil Unit-199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम Kumari Savita Tulsiram Chaudhary गलत दर्ज है मेरा वास्तविक नाम Savita Vikas Patil है सैन्य दस्तावेज में मेरी जन्मतिथि 26.06.1983 गलत दर्ज है, सही जन्मतिथि 09.05.1983 है।

मैंने मेरा नाम शफीक अहमद से बदलकर मोहम्मद शफीक पुत्र श्री हबीब खाँ निवासी प्लाट न.- 297, ईदगाह, कच्ची बस्ती, रोड नं. 2, दिल्ली बाईपास रोड, जयपुर (राजस्थान) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना जावे।

I, Ritu Devi W/o Shri Kailash Chand Sain in my son (Yogesh Kumar Sain) educational records my name Kusum Devi wrongly mentioned but my correct name is Ritu Devi for all future purposes.

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई- निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **क्रसं.1 एनआईटी संख्या:** ईएल/जेपी/13/2023-24; **कार्य का नाम:** JP Div.-Electrical work in connection with Provision of adequate lighting arrangement at SAS & JOB; **अनुमानित लागत:** 4017955/-; **बयाना राशि:** 80400/-; **निविदा खोलने की तिथि:** 11.09.2023; **2. एनआईटी संख्या:** ईएल/जेपी/14/ 2023-24; **कार्य का नाम:** JP Div.-Electrical work in connection with Provision of adequate lighting arrangement at MADA, BAGA, JILO, NIP; **अनुमानित लागत:** 7086510/-; ; **बयाना राशि:** 141700/-; **निविदा खोलने की तिथि:** 11.09.2023; **नोट:** ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक; ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे के बाद; **सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता:** http://www.ireps.gov.in 870-AN/23

हमें /NWRailways पर फॉलो करें

एक सप्ताह से लापता वकील की तलाश के लिए क्या प्रयास किए?

जयपुर। हाईकोर्ट ने गृह सचिव, जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी दक्षिण सहित अन्य से पूछा है कि 12 अगस्त से लापता वकील की तलाश के लिए क्या किया गया है। अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को कहा है कि वह प्रकरण में दर्ज गुमशुदगी का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश माला शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति नरेन्द्र शर्मा गत 12 अगस्त को घर के पास स्थित मंदिर से लापता हो गए थे। काफी तलाश करने के बाद भी पति का पता नहीं चला। ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से 13 अगस्त को मुहाना थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। एक सप्ताह बीतने के बाद भी अब तक पुलिस उसके पति को तलाशने ने कामयाब नहीं हो सकी है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति ने अपनी कृषि भूमि के अवैध बेचान को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ अजमेर के अराई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये आरोपी उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसे में उसे अंदेशा है कि आरोपियों ने उसके पति का अपहरण कर बंधक बना लिया है। पुलिस को इस तथ्य की जानकारी देने के बावजूद भी पुलिस प्रकरण में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि वह उसके पति को बरामद कर अदालत में पेश करें। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों व अन्य से जवाब मांगते हुए प्रकरण का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि प्रकरण में दी बार एसोसिएशन, जयपुर की ओर से भी पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर लापता वकील की तलाश करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने मांग की है।

सफाईकर्मी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आयोजित सफाई कर्मचारी भर्ती-2023 में नगरीय निकाय में सफाई करने का न्यूनतम एक साल का अनुभव रखने वालों को प्रथम वरीयता देने का प्रावधान करने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश गोपी कृष्ण मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

कांग्रेस ने सत्ता के लिए जिसका चेहरा आगे किया, उसको बाद में अलग-थलग किया : सी.पी. जोशी

'भाजपा ने गुर्जर समाज को केंद्र और प्रदेश में सत्ता एवं संगठन, दोनों जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया'

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज तोतुका भवन में गुर्जर समाज के आभार और अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर समाज के व्यक्तियों और जन प्रतिनिधियों से संवाद किया तथा पत्रकारों से बात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने गुर्जर समाज को केंद्र और प्रदेश में सत्ता एवं संगठन, दोनों जगह उचित प्रतिनिधित्व दिया। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण का कमल के फूल पर ही उदय हुआ था, जिनकी 1111वीं जयंती पर जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो उन्हें नमन करने आए। उससे पूर्व वहां भाजपा शासन में ही पैनोरमा बना तथा विकास कार्य हुए। मैं आशा करता हूं जैसा सहयोग गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी को आज तक प्राप्त हुआ, 2023 के चुनाव में भी वही समर्थन प्राप्त होगा।

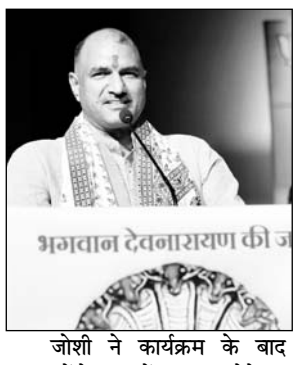

जोशी ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री के आज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह उनकी घबराहट और अपने विधायकों को जैसे तैसे जोड़े रखने की कवायद मात्र है। अब तक हुए इनके आंतरिक सर्वे ने इनकी नींदें उड़ा दी है। इनका कुनबा टूट चुका है, इनका साथ छोड़ रहा है। सरकार ने अपने कुनबे को साथ रखने के लिए उनके फोन टेप कराए, पर वो कब तक। इनका जहाज डूबने वाला है। इसलिए कुनबे के लोग छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं। भाजपा ने कभी किसी समाज के नेता को केवल चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए जिसका चेहरा आगे किया, उनको बाद में नाकारा, निकम्मा और गद्दार कहकर अलग थलग कर दिया। जो ऐसा करते हैं या कहते हैं वे समाज का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारतीय जानता पार्टी द्वारा गुर्जर समाज का पार्टी में प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर सर्व गुर्जर समाज के नेताओ ने पार्टी का अभिनंदन किया।

तोतुका भवन जयपुर में गुर्जर समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भारतीय जानता पार्टी के सभी गुर्जर नेताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी का आभार और अभिनंदन किया। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री डॉ अलका गुर्जर ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय टीम में मौक़ा दिया और प्रदेश में भी महत्वपूर्ण पदो पर गुर्जर समाज के कार्यकर्ताओं को ज़िम्मेदारी देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। डॉ अलका ने कहा कि गुर्जरों का तो जन्म ही कमल में हुआ है,स्वयं देवनारायण भगवान ने कमल पर ही अवतरण लिया था। हम सभी को यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि आगामी चुनाव में हमे कमल के फूल को अपना समर्थन देना है। डॉ अलका ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि गुर्जर समाज के नाम पर वोट माँग कर गुर्जर समाज के साथ धोखा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमे धोखा देने वालों के साथ नहीं संगठन में मौक़ा देने वालो के साथ रहना है। हमें 2023 और 2024 के चुनाव में कही भटकना नहीं है और इस कमल के फूल को याद रखते हुए इसके साथ चलना है।

> ■ **कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज के नाम पर वोट माँग कर समाज को धोखा देने का काम किया है : डॉ अलका गुर्जर**

कार्यक्रम में महंत हेमराज पोसवाल, टोंक-सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, महापौर सौम्या गुर्जर, गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला, पूर्व मंत्री हेमसिंह बढ़ाना, पूर्व विधायक कालू लाल गुर्जर, अनिता गुर्जर, ओबीसी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर, भाजयुमो अध्यक्ष अंकित चेची, पूर्व महापौर शील धाबाई, रामलाल गुर्जर एवं समाज के अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया तथा उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत कालाडेरा

क्रमांक-713/ग्रा.प.का./2023 प्रारूप 22 दिनांक-18.08.2023

रा.प.रा.नि.1996 के नियम 173 क (5) के अन्तर्गत आवासीय भूमिका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग संपरिवर्तन करने के संबंध मं आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस

क्र.सं.		भूखण्ड की नाप
1	श्री अब्दुल सत्तार पुत्र इस्लामुद्दीन मणियार	110.50 वर्गगज

नोट-उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत कालाडेरा में अपने आवासीय उपयोग की भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग संपरिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है जिस किसी भी व्यक्ति आक्षेप (एतराज) हो तो वह ग्राम पंचायत कालाडेरा में नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में अपना आक्षेप मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदनों/आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा कोई भी आपत्ति/वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्रों में वर्णित भूमि व दस्तावेज का अवलोकन अन्दर मियाद किसी भी कार्यालय दिवस में आकर ग्राम पंचायत कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पं.स.गोविन्दगढ (जयपुर) — सरंपच, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पं.स.गोविन्दगढ (जयपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कालाडेरा

क्रमांक-712/ग्रा.प.का./2023 प्रारूप 22 दिनांक-18.08.2023

रा.प.रा.नि.1996 के नियम 173 क (5) के अन्तर्गत आवासीय भूमिका वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग संपरिवर्तन करने के संबंध मं आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस

क्र.सं.		भूखण्ड की नाप
1	श्री सुभाष चन्द सैन पुत्र श्री बंशीधर सैन	295.60 वर्गगज
2	श्री श्यामलाल सैन पुत्र श्री बंशीधर सैन	295.60 वर्गगज

नोट-उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत कालाडेरा में अपने आवासीय उपयोग की भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग संपरिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है जिस किसी भी व्यक्ति आक्षेप (एतराज) हो तो वह ग्राम पंचायत कालाडेरा में नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में अपना आक्षेप मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदनों/आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा कोई भी आपत्ति/वाद स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्रों में वर्णित भूमि व दस्तावेज का अवलोकन अन्दर मियाद किसी भी कार्यालय दिवस में आकर ग्राम पंचायत कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पं.स.गोविन्दगढ (जयपुर) — सरंपच, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पं.स.गोविन्दगढ (जयपुर)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।